



# नेपाल राजपत्र

## भाग २

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २१] काठमाडौं, आषाढ ३२ गते २०२८ साल [अतिरिक्ताङ्क १६

श्री ५ को सरकार

कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाइबक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छः—

२०२८ सालको ऐन नं. १

स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला परम नेपाल प्रतापभास्कर ओजस्विराजन्य परम गौरवमय तेजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद परम उज्ज्वल कीर्तिमय नेपालश्रीपद परम प्रोज्ज्वल नेपालतारा परम पवित्र ॐरामपट्ट परम ज्योतिर्मय सुविख्यात त्रिशक्तिपट्ट परम सुप्रसिद्ध प्रवल गोरखादक्षिणबाहु परमाधिपति अतिरथी परम सेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिताम् ।

(१)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

आर्थिक वर्ष २०२८।२९ को सेवा र कार्यहरूको केही अंशको लागि संचित कोषबाट पेशकीको रूपमा केही रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना:- आर्थिक वर्ष २०२८।२९ को निमित्त प्रस्तुत विनियोजन विधेयक विचाराधिन रहेको र सो वर्षको निमित्त अनुमान गरिएको खर्चको केही अंश अगावै पेशकीको रूपमा संचित कोषबाट झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकार दिन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:- यस ऐनको नाम "पेशकी खर्च ऐन २०२८" रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०२८।२९ को निमित्त संचित कोषबाट रूपैयाँ खर्च गर्ने अधिकार:- आर्थिक वर्ष २०२८।२९ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जम्मा रूपैयाँ ३३,७१,३४,०००।- तेत्तीस करोड एकहत्तर लाख चौत्तीस हजारमा नबढाई त्यतिसम्म रकम संचित कोषबाट झिक्न र खर्च गर्न सकिनेछ ।

## अनुसूची-१

संविधानअनुसार संचित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १           | २             | ३                                 | ४                                         |
|-------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                      | संचित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम रु. हजारमा |
| १           | १- १          | श्री ५ महाराजाधिराज तथा राजपरिवार | ६५,२८                                     |
| २           | १- २          | राजसभा                            | ३,०७                                      |
| ३           | १- ३          | राष्ट्रिय पञ्चायत                 | ४६,१२                                     |
| ४           | १- ४          | महालेखापरीक्षकको विभाग            | १८,७३                                     |
| ५           | १- ५          | सर्वोच्च अदालत                    | १३,६२                                     |
| ६           | १- ६          | लोक सेवा आयोग                     | १२,१३                                     |
| ७           | १- ७          | निर्वाचन आयोग                     | २२,६०                                     |
| ८           | ६- ८          | यातायात                           | १५,००                                     |
| ९           | ११- १         | साँवा भुक्तानी                    | ३५,६२                                     |
| १०          | ११- २         | ब्याज भुक्तानी                    | १,०३,७७                                   |
| ११          | १२- ७         | अन्य                              | ३,००                                      |
|             |               |                                   | ३,३६,२४                                   |

(४)

नेपाल राजपत्र भाग २

## अनुसूची-२

दफा २ अनुसार संचित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                           | ४                           |
|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                | विनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | २- १          | मन्त्रिपरिषद्               | ३,६८                        |
| २           | २- २          | श्री ५ को सरकारको सचिवालय   | २८,१६                       |
| ३           | २- ३          | जिल्ला प्रशासन              | ३२,६२                       |
| ४           | २- ४          | प्रहरी                      | ७८,७०                       |
| ५           | २- ५          | कारागार                     | १४,२४                       |
| ६           | २- ६          | बिबिध                       | ६,३६                        |
| ७           | ३- १          | मालपोत                      | १७,८६                       |
| ८           | ३- २          | भन्सार                      | १०,५२                       |
| ९           | ३- ३          | अन्तःशुल्क                  | ४,७०                        |
| १०          | ३- ४          | कर                          | ४,६५                        |
| ११          | ३- ५          | आय र कर अदालत               | ४०                          |
| १२          | ४- २          | तथ्याङ्क                    | ४,२१                        |
| १३          | ४- ३          | टक्सार                      | ५,२८                        |
| १४          | ४- ४          | महालेखापालको कार्यालय       | २,८५                        |
| १५          | ५- १          | अदालत                       | १४,५८                       |
| १६          | ५- २          | महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय | १,४५                        |
| १७          | ६- १          | वैदेशिक सेवा                | ३४,६८                       |
| १८          | ६- २          | बिबिध                       | ६,७४                        |
| १९          | ७- १          | रक्षा                       | १,३३,१२                     |
| २०          | ८- १          | शिक्षा                      | ६४,०२                       |
| २१          | ८- २          | स्वास्थ्य                   | ४३,५६                       |
| २२          | ८- ३          | पिउने पानी                  | ३,०७                        |
| २३          | ८- ४          | पञ्चायत                     | २८,४४                       |
| २४          | ८- ५          | अन्य सामाजिक सेवाहरू        | २३,१६                       |
| २५          | ९- १          | कृषि                        | १७,८६                       |

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| १           | २             | ३                                                  | ४                           |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य                                       | बिनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| २६          | ६-२           | सिंचाई                                             | ६,२५                        |
| २७          | ६-३           | भूमिसुधार                                          | १०,६५                       |
| २८          | ६-४           | नापी                                               | ३,०५                        |
| २९          | ६-५           | वन                                                 | ११,८५                       |
| ३०          | ६-६           | उद्योग तथा खानी                                    | ४,२३                        |
| ३१          | ६-७           | सञ्चार                                             | २२,३०                       |
| ३२          | ६-८           | यातायात                                            | २७,६६                       |
| ३३          | ६-९           | विद्युत्                                           | ६,६५                        |
| ३४          | ६-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू                                | १,८४                        |
| ३५          | १०-१          | ऋण र लगानी                                         | १६,७५                       |
| ३६          | १२-१          | विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डलको<br>भ्रमण खर्च | ७,५०                        |
| ३७          | १२-२          | निवृत्तभरण, भत्ता तथा उपदान                        | १८,५०                       |
| ३८          | १२-३          | अतिथि सत्कार                                       | ८८                          |
| ३९          | १२-४          | आकस्मिक सहायता, चन्दा र पुरस्कार                   | २५                          |
| ४०          | १२-५          | मुआबजा                                             | १,२५                        |
| ४१          | १२-६          | मेट्रिक नाप तौल                                    | १,०६                        |
| ४२          | १२-७          | अन्य                                               | ३२,००                       |
| ४३          | १२-८          | भैपरि आउने                                         | ८,००                        |
| ४४          | १२-९          | प्रशासन सुधार                                      | १,२५                        |
|             |               |                                                    | ८,०७,१८                     |

(६)

नेपाल राजपत्र भाग २

## अनुसूची-३

ढफा २ र ३ अनुसार संचित कोषबाट खर्च हुने

| १           | २             | ३                    | ४                           |
|-------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| क्रम संख्या | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य         | बिनियोजित रकम<br>रु. हजारमा |
| १           | ४-१           | योजना                | १,६६                        |
| २           | ४-२           | तथ्याङ्क             | २०,००                       |
| ३           | ८-१           | शिक्षा               | १,३३,००                     |
| ४           | ८-२           | स्वास्थ्य            | १,१६,०५                     |
| ५           | ८-३           | पिउने पानी           | ३१,४३                       |
| ६           | ८-४           | पञ्चायत              | ६०,३०                       |
| ७           | ८-५           | अन्य सामाजिक सेवाहरू | १२,२०                       |
| ८           | ९-१           | कृषि                 | २,१४,२१                     |
| ९           | ९-२           | सिंचाई               | १,४७,००                     |
| १०          | ९-३           | भूमिसुधार            | १२,२४                       |
| ११          | ९-४           | नापी                 | २४,६०                       |
| १२          | ९-५           | वन                   | ६२,४०                       |
| १३          | ९-६           | उद्योग तथा खानी      | २,७९,६२                     |
| १४          | ९-७           | सञ्चार               | ३३,५०                       |
| १५          | ९-८           | यातायात              | ११,६६,१०                    |
| १६          | ९-९           | विद्युत्             | १,२९,८५                     |
| १७          | ९-१०          | अन्य आर्थिक सेवाहरू  | २७,२०                       |
| १८          | १२-७          | अन्य                 | ६९,००                       |
| १९          | १२-८          | भैपरि आउने           | १६,००                       |
| २०          | १२-९          | प्रशासन सुधार        | ७,८०                        |
|             |               |                      | २५,६४,१६                    |

लालमोहर सदर मिति- २०२८।३।३२।६

आज्ञाले -

चूडामणिराज सिंह मल्ल  
श्री ५ को सरकारको सचिव

श्री ५ को सरकारको छापाखानामा मुद्रित ।  
आधिकारिकता मद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।